पत्रांक : टी.टी.प्रे. 1453 / 2017

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना–17

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना–17

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
डी.पी. सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन,
गौतम नगर, बिहारशरीफ, नालन्दा।

पटना, दिनांक 26/9 / 2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर उड़ीसा के ERCAPP3243, दिनांक 07.04.2017 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त / सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :–

शर्तें :–

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन–2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन–2014 के परिशिष्ट–2 अनुच्छेद–2.2 (ac) में निहित प्रावधानों, यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्क्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका–2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय–समय पर पदाधिकारियों / विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय–व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय / वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।